



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570

website: www.kvsangathan.nic.in

दिनांक: 01.08.2017

F.11029-30/2008- केविसं (मु) (प्रशा -I)

उपायुक्त,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
सभी क्षेत्रीय कार्यालय

विषय: सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक आयुक्त के पदों का पुनर्निर्धारण।

महोदया/महोदय,


केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आदेश दिनांक 04.05.2017 के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन आने वाले केन्द्रीय विद्यालयों के वितरण के अनुपात में हुई असमानता को संज्ञान में लेते हुए आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु एवं प्रभावी ढंग से चलाये जाने हेतु सहायक आयुक्त के पदों का पुनर्निर्धारण करने का निर्णय लिया है। तदनुसार सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक आयुक्त के पदों की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार आवंटित की जाती है :

क्र.संख्या	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	सहायक आयुक्त के वर्तमान स्वीकृत पद	सहायक आयुक्त के नवीन स्वीकृत पद
1.	सिल्चर	29	03	02
2.	तिनसुकिया	29	03	02
3.	आगरा	36	03	02
4.	वाराणसी	32	03	02
5.	रायपुर	28	03	02
6.	जयपुर	69	03	04
7.	कोलकाता	61	03	04
8.	मुंबई	62	03	04
9.	हैदराबाद	63	03	04
10.	गुडगाँव	54	03	04
11	दिल्ली	45	03	03

12	अहमदाबाद	47	03	03
13	बंगलुरु	46	03	03
14	एरनाकुलम	37	03	03
15	भोपाल	57	03	03
16	चेन्नई	48	03	03
17	भुवनेश्वर	58	03	03
18	रांची	34	03	03
19	पटना	47	03	03
20	जबलपुर	45	03	03
21	देहारादून	43	03	03
22	लखनऊ	42	03	03
23	चंडीगढ़	55	03	03
24	जम्मू	38	03	03
25	गुवाहाटी	56	03	03
26	मुख्यालय	03	06	06
	कुल योग	1162	81	81

इसे आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,



(डॉ. ई प्रभाकर)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

प्रतिलिपि: .

1. आयुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन के निजी सचिव।
2. अपर आयुक्त (प्रशा.) / शैक्षिक के निजी सचिव ।
3. संयुक्त आयुक्त (वित्त/प्रशिक्षण/शैक्षिक/ प्रशासन/कार्मिक) को सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय विद्यालय संगठन को सूचनार्थ।
5. सहायक आयुक्त (स्थापना -I) को इस अनुरोध के साथ की वे अतिरिक्त सहायक आयुक्तों को नियमानुसार पुनर्स्थापित करें।
6. निदेशक, आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ग्वालियर, मुंबई, मैसूर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर ।
7. उपायुक्त, (ईडीपी) को इस अनुरोध के साथ की इसे केन्द्रीय विद्यालय संगठन की वैबसाइट पर लोड करें।
8. महासचिव, केन्द्रीय विद्यालया संगठन, मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ को सूचनार्थ।

